संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, प्रथम एवं द्वितीय तल, खण्ड–चार, नवा रायपुर अटल नगर 491002

फोनः 0771 – 2412840, 2413423, फैक्सः 0771–2412849, Email: miningdgmcg@gmail.com

क्रमांक 5066-92/खनि 02/रेत (मूल)/38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 SEP 2019

प्रति,

कलेक्टर

जिला – सर्व जिला (छ.ग.)

विषय :– रेत खदान समूहों के नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) पश्चात् खदान के खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति को अधिमानी बोलीदार के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत्।

––:0:––

उपरोक्त विषयांतर्गत छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के तहत रेत खदानों की नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) पूर्ण किये जाने उपरांत पूर्व से अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति को अधिमानी बोलीदार के नाम पर निम्नानुसार स्थिति के अंतर्गत हस्तांतरित किये जाने की प्रकिया तत्काल किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

- एन.आई.टी. में उल्लेखित खदान के अक्षांश–देशांश क्षेत्र (रकबा) पर यदि खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति पूर्व प्राप्त है तथा जिनमें अवधि शेष है, मात्र वो ही हस्तातंरण हेतु मान्य किये जाएगें।
- जिन प्रकरणो में पर्यावरण स्वीकृति तथा खनन योजना हस्तांतरित किया जायेगा, उनमें संबंधित पंचायत द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2019–20 में उत्खनन हेतु अनुमोदित खनिज मात्रा के विरूद्ध पूर्व में जितनी मात्रा का उत्खनन किया जा चुका है, उसमें से शेष मात्रा हेतु ही खनन की अनुमति प्रदान किया जा सकता है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति में से उत्पादन हेतु उल्लेखित मात्रा जो भी कम हो, के अनुसार खनन की अनुमति प्रदान किया जा सकेगा।
- नवीन खदानों में एन.आई.टी में जारी अक्षांश–देशांश के आधार पर नवीन खनन योजना/पर्यावरण सम्मति प्राप्त किया जाना होगा।

पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के हस्तांतरण का प्रस्ताव राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण को अधिमानी बोलीदार की तरफ से प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उक्त कार्यवाही आशय पत्र जारी करने के पश्चात् तत्काल किया जाना होगा। राज्य शासन की मंशानुसार 15 अक्टूबर के पश्चात् रेत खदानों का संचालन प्रारंभ किया जाना है। अतः उपरोक्त प्रकिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Scanned by CamScanner

अधिमानी बोलीदार द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति राशि जमा किये जाने पश्चात् उनके द्वारा जमा बिड सिक्योरिटी राशि (डिमांड ड्राफ्ट) को मूलतः वापस किया जाना होगा तथा अन्य बोलीदारों के द्वारा जमा बिड सिक्योरिटी राशि (डिमांड ड्राफ्ट) को मूलतः तत्काल वापस करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्र. 5093/खनि 02/रेत (मूल)/38/1996 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 SEP 2019
प्रतिलिपि :–

विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय (छ.ग.) नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner